

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम- बिहारशरीफ, गया एवं छपरा।

कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर परिषद- बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, बेनीपुर, मधुबनी, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, फारबिसगंज, मोतिहारी, अररिया, भभुआ, किशनगंज, बगहा, सिवान, हिलसा, रक्सौल, बीहट, सहरसा एवं ढाका।

कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर पंचायत- खुशरूपुर, विक्रम, बिहियाँ, जगदीशपुर, शाहपुर, नासरीगंज, सिलाव, राजगीर, बोधगया, मखदुमपुर, हिसुआ, नवगछिया, अमरपुर, डुमरा, रामनगर, जयनगर, दलसिंहसराय, बड़हिया, रिविलगंज, महाराजगंज, मैरवा, मीरगंज, बीरपुर, निर्मली, मुरलीगंज, बहादुरगंज, वारसलीगंज, बैरगनिया, जनकपुर रोड, साहेबगंज, सुगौली, केसरिया, मेहसी, एकमा बाजार, सिमरी बख्तियारपुर, ईसलामपुर, बखरी, मढ़ौरा, चकिया, बलिया, सोनपुर, बरौली एवं मनिहारी।

पटना, दिनांक- 06/03/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए राज्य योजनान्तर्गत “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” मद अंतर्गत कुल राशि ₹3525.47000 लाख (पैंतीस करोड़ पचीस लाख सैंतालीस हजार रु०) मात्र का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए राज्य योजनान्तर्गत “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” मद अंतर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 03 के अनुरूप विभागीय राज्यादेश सं०-141 दिनांक-06/03/19 के आलोक में कुल राशि ₹3525.47000 लाख (पैंतीस करोड़ पचीस लाख सैंतालीस हजार रु०) मात्र निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3
1	नगर निगम, बिहारशरीफ	2,10,59,661.00
2	नगर निगम, गया	3,11,01,340.00
3	नगर निगम, छपरा	1,72,70,888.00
4	नगर परिषद, बक्सर	89,82,591.00
5	नगर परिषद, अरवल	45,27,842.00
6	नगर परिषद, औरंगाबाद	89,28,710.00
7	नगर परिषद, बेनीपुर	65,77,243.00

8	नगर परिषद, मधुबनी	66,13,833.00
9	नगर परिषद, लखीसराय	87,30,913.00
10	नगर परिषद, शेखपुरा	54,95,256.00
11	नगर परिषद, खगड़िया	43,14,501.00
12	नगर परिषद, मधेपुरा	47,56,902.00
13	नगर परिषद, सुपौल	57,14,448.00
14	नगर परिषद, फारबिसंगंज	44,07,854.00
15	नगर परिषद, मोतिहारी	1,10,17,059.00
16	नगर परिषद, अररिया	69,00,704.00
17	नगर परिषद, भभुआ	86,82,005.00
18	नगर परिषद, किशनगंज	92,37,674.00
19	नगर परिषद, बगहा	1,38,36,042.00
20	नगर परिषद, सिवान	1,16,94,972.00
21	नगर परिषद, हिलसा	44,58,242.00
22	नगर परिषद, रक्सौल	72,49,819.00
23	नगर परिषद, बीहट	59,34,076.00
24	नगर परिषद, सहरसा	1,34,70,242.00
25	नगर परिषद, ढाका	36,73,256.00
26	नगर पंचायत, खुशरूपुर	13,73,749.00
27	नगर पंचायत, विक्रम	29,63,646.00
28	नगर पंचायत, बिहियाँ	33,32,255.00
29	नगर पंचायत, जगदीशपुर	48,82,791.00
30	नगर पंचायत, शाहपुर	25,51,548.00
31	नगर पंचायत, नासरीगंज	20,80,053.00
32	नगर पंचायत, सिलाव	22,42,046.00
33	नगर पंचायत, राजगीर	36,31,688.00
34	नगर पंचायत, बोधगया	33,56,781.00
35	नगर पंचायत, मखदुमपुर	27,93,955.00
36	नगर पंचायत, हिसुआ	28,45,566.00
37	नगर पंचायत, नवगछिया	42,85,072.00
38	नगर पंचायत, अमरपुर	22,12,529.00
39	नगर पंचायत, डुमरा	13,68,771.00
40	नगर पंचायत, रामनगर	42,27,610.00
41	नगर पंचायत, जयनगर	19,02,167.00
42	नगर पंचायत, दलसिंह सराय	20,83,808.00
43	नगर पंचायत, बड़हिया	37,57,876.00
44	नगर पंचायत, रिविलगंज	34,09,177.00
45	नगर पंचायत, महाराजगंज	21,20,486.00
46	नगर पंचायत, मैरवा	20,57,872.00
47	नगर पंचायत, मीरगंज	22,91,473.00
48	नगर पंचायत, बीरपुर	17,40,612.00
49	नगर पंचायत, निर्मली	17,63,055.00
50	नगर पंचायत, मुरलीगंज	25,05,513.00
51	नगर पंचायत, बहादुरगंज	32,30,505.00

52	नगर पंचायत, बारसलीगंज	29,74,025.00
53	नगर पंचायत, बैरगनिया	37,45,912.00
54	नगर पंचायत, जनकपुर रोड	13,21,178.00
55	नगर पंचायत, साहेबगंज	20,28,094.00
56	नगर पंचायत, सुगौली	33,89,616.00
57	नगर पंचायत, केसरिया	16,57,825.00
58	नगर पंचायत, मेहसी	22,70,078.00
59	नगर पंचायत, एकमा बाजार	26,59,122.00
60	नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर	18,91,077.00
61	नगर पंचायत, ईसलामपुर	31,12,439.00
62	नगर पंचायत, बखरी	34,96,854.00
63	नगर पंचायत, मढ़ौरा	26,13,886.00
64	नगर पंचायत, चकिया	23,06,456.00
65	नगर पंचायत, बलिया	41,52,421.00
66	नगर पंचायत, सोनपुर	32,98,883.00
67	नगर पंचायत, बरौली	36,57,013.00
68	नगर पंचायत, मनहारी	23,25,444.00
		35,25,47,000.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹3525.47000 लाख (पैंतीस करोड़ पचीस लाख सैंतालीस हजार रु०) मात्र।

2. उक्त आवंटित ₹3525.47000 लाख (पैंतीस करोड़ पचीस लाख सैंतालीस हजार रु०) मात्र राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. उक्त आवंटित कुल राशि ₹3525.47000 लाख (पैंतीस करोड़ पचीस लाख सैंतालीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोट तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0102-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217037890102**, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।
6. स्वीकृत राशि से योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या- 1288, दिनांक- 25.02.2016, विभागीय पत्रांक- 2090, दिनांक- 21.03.2016 एवं पत्रांक- 4548, दिनांक- 16.07.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।
7. “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-
- (i) **योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।**
 - (ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
 - (iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।
 - (iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
 - (v) **योजनाओं का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**
8. योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।
9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि (2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

06.03.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-06/2014 99 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 06/03/19

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार/मुख्य/अधीक्षण अभियंता, बुडको/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई० मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.19

सरकार के विशेष सचिव।

4

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब०/ना०नि०-02-06/2014 141

/न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक 06/03/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए राज्य योजनान्तर्गत “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” मद अंतर्गत कुल राशि ₹3525.47000 लाख (पैंतीस करोड़ पचीस लाख सैंतालीस हजार रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए राज्य योजनान्तर्गत “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” मद अंतर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 03 के अनुरूप कुल राशि ₹3525.47000 लाख (पैंतीस करोड़ पचीस लाख सैंतालीस हजार रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3
1	नगर निगम, बिहारशरीफ	2,10,59,661.00
2	नगर निगम, गया	3,11,01,340.00
3	नगर निगम, छपरा	1,72,70,888.00
4	नगर परिषद, बक्सर	89,82,591.00
5	नगर परिषद, अरवल	45,27,842.00
6	नगर परिषद, औरंगाबाद	89,28,710.00
7	नगर परिषद, बेनीपुर	65,77,243.00
8	नगर परिषद, मधुबनी	66,13,833.00
9	नगर परिषद, लखीसराय	87,30,913.00
10	नगर परिषद, शेखपुरा	54,95,256.00
11	नगर परिषद, खगड़िया	43,14,501.00
12	नगर परिषद, मधेपुरा	47,56,902.00
13	नगर परिषद, सुपौल	57,14,448.00
14	नगर परिषद, फारबिसंगज	44,07,854.00
15	नगर परिषद, मोतिहारी	1,10,17,059.00
16	नगर परिषद, अररिया	69,00,704.00

17	नगर परिषद, भमुआ	86,82,005.00
18	नगर परिषद, किशनगंज	92,37,674.00
19	नगर परिषद, बगहा	1,38,36,042.00
20	नगर परिषद, सिवान	1,16,94,972.00
21	नगर परिषद, हिलसा	44,58,242.00
22	नगर परिषद, रक्सौल	72,49,819.00
23	नगर परिषद, बीहट	59,34,076.00
24	नगर परिषद, सहरसा	1,34,70,242.00
25	नगर परिषद, ढाका	36,73,256.00
26	नगर पंचायत, खुशरूपुर	13,73,749.00
27	नगर पंचायत, विक्रम	29,63,646.00
28	नगर पंचायत, बिहियाँ	33,32,255.00
29	नगर पंचायत, जगदीशपुर	48,82,791.00
30	नगर पंचायत, शाहपुर	25,51,548.00
31	नगर पंचायत, नासरीगंज	20,80,053.00
32	नगर पंचायत, सिलाव	22,42,046.00
33	नगर पंचायत, राजगीर	36,31,688.00
34	नगर पंचायत, बोधगया	33,56,781.00
35	नगर पंचायत, मखदुमपुर	27,93,955.00
36	नगर पंचायत, हिसुआ	28,45,566.00
37	नगर पंचायत, नवगछिया	42,85,072.00
38	नगर पंचायत, अमरपुर	22,12,529.00
39	नगर पंचायत, डुमरा	13,68,771.00
40	नगर पंचायत, रामनगर	42,27,610.00
41	नगर पंचायत, जयनगर	19,02,167.00
42	नगर पंचायत, दलसिंह सराय	20,83,808.00
43	नगर पंचायत, बड़हिया	37,57,876.00
44	नगर पंचायत, रिविलगंज	34,09,177.00
45	नगर पंचायत, महाराजगंज	21,20,486.00
46	नगर पंचायत, मैरवा	20,57,872.00
47	नगर पंचायत, मीरगंज	22,91,473.00
48	नगर पंचायत, बीरपुर	17,40,612.00
49	नगर पंचायत, निर्मली	17,63,055.00
50	नगर पंचायत, मुरलीगंज	25,05,513.00
51	नगर पंचायत, बहादुरगंज	32,30,505.00
52	नगर पंचायत, बारसलीगंज	29,74,025.00
53	नगर पंचायत, बैरगनिया	37,45,912.00
54	नगर पंचायत, जनकपुर रोड	13,21,178.00
55	नगर पंचायत, साहेबगंज	20,28,094.00
56	नगर पंचायत, सुगौली	33,89,616.00
57	नगर पंचायत, केसरिया	16,57,825.00
58	नगर पंचायत, मेहसी	22,70,078.00
59	नगर पंचायत, एकमा बाजार	26,59,122.00
60	नगर पंचायत, सिमरी बखियापुर	18,91,077.00

8

61	नगर पंचायत, ईसलामपुर	31,12,439.00
62	नगर पंचायत, बखरी	34,96,854.00
63	नगर पंचायत, मढौरा	26,13,886.00
64	नगर पंचायत, चकिया	23,06,456.00
65	नगर पंचायत, बलिया	41,52,421.00
66	नगर पंचायत, सोनपुर	32,98,883.00
67	नगर पंचायत, बरौली	36,57,013.00
68	नगर पंचायत, मनिहारी	23,25,444.00
		35,25,47,000.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹3525.47000 लाख (पैंतीस करोड़ पचीस लाख सैंतालीस हजार रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत ₹3525.47000 लाख (पैंतीस करोड़ पचीस लाख सैंतालीस हजार रु०) मात्र राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा।

3. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹3525.47000 लाख (पैंतीस करोड़ पचीस लाख सैंतालीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोट तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0102-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217037890102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

6. स्वीकृत राशि से योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या- 1288, दिनांक- 25.02.2016, विभागीय पत्रांक- 2090, दिनांक- 21.03.2016 एवं पत्रांक- 4548, दिनांक- 16.07.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7. “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

8. योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि (2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०नि०-02-06/2014 के पृष्ठ सं०-.....86...../टि० पर दिनांक-05/03/2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....87...../टि० पर दिनांक-05/03/2019को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना सभी प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् तथा नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

06.03.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-06/2014 141 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 06.03.19

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् तथा नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार/मुख्य/अधीक्षण अभियंता, बुडको/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई0 मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.19

सरकार के विशेष सचिव।